राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

कमांकः एफ 2(1)ग्रावि/अनु–8/2014/ जयपुर, दिनांक 26.5.2015

बैठक कार्यवाही विवरण

शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक बैठक दिनांक 26.5.2015 में दिये गये निर्देश निम्नानुसार हैः–

1. विभाग की प्रगति 61.52 प्रतिशत रही है जो कि गत वर्ष से लगभग 4 प्रतिशत कम प्रगति है। शासन सचिव महोदय द्वारा नाराजगी जाहिर की गयी तथा वर्ष 2015–16 में कार्य योजना बनाकर व्यय 100 प्रतिशत से रखने के निर्देश दिये गये। जिन योजनाओं में कमी है उन योजना प्रभारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।
   a. बीएडीपी योजना में उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए प्रमुख शासन सचिव, ग्रा.वि.एवं पं.राज के स्तर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग, उर्जा विभाग एवं जनस्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग की बैठक करायी जाए।
   b. बीएडीपी योजना वर्ष 2015–16 के प्राप्त प्रस्तावों को कार्यवार शासन सचिव से अनुमोदन करवाने के उपरान्त ही मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित किये जाए।
   c. मुख्य मंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए वैबसाईट डवलपमेंट हेतु मार्ग्रेट इसी सप्ताह जारी कर दी जाये।
   d. सभी योजनाओं में दिनांक 1.4.2014 से पहले की समस्त पैन्डिंग एवं अप्रारम्भ कार्यो की कार्यवार सूची 31 मई 2015 तक उपलब्ध करायी जाये।
   e. डांग, मगरा एवं मेवात योजना में जिलों से प्रस्ताव प्राप्त हो गये है। 31 मई तक अनुमोदन हेतु मा0 मंत्री महोदय को प्रस्तुत कर दिये जायेगे।

(योजना प्रभारी)

2. अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास द्वारा 30 ब्लॉकों में दर निर्धारित की गयी है उनसे सम्पर्क कर दर निर्धारण कराया जाना सुनिश्चित करें।

(योजना प्रभारी)

3. वित्तीय सलाहकार द्वारा ब्लॉकवार सूचना आगामी बैठक में उपलब्ध करायी जाये।

(वित्तीय सलाहकार)

4. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत सम्पूर्ण योजना की गहराई से समीक्षा कर 15वीं व 16वीं लोकसभा के व्यय की समीक्षा करें एवं सही व्यय एमपीआर में दर्शाना सुनिश्चित करें। योजना में आवंटित राशि का सही अंकन सुनिश्चित करें।

(पीडी एसएपी–एसएस)

5. समस्त योजनाओं में एमपी, एमएलए लैड, डांग, मगरा, मेवात, स्वविवेक, गुरूगोलवलकर जनभागीदारी योजनाओं में अप्रेल माह में बडी संख्या में जिलों द्वारा शून्य प्रगति

दिखायी गयी है। मई में जिलों द्वारा शून्य प्रगति दिखायी गयी तो उसके लिए योजना प्रभारी जिम्मेदार होगें। अतः व्यतिशः जिलों से सम्पर्क कर सही प्रगति दर्शाया जाना सुनिश्चित करें। इसके लिए जून को प्रथम बुद्धवार को परियोजना अधिकारी योजना प्रभारी बैठक कर सही प्रगति आईडब्ल्यूएमएस में 1.4.2014 से पूर्व का अंकन सुनिश्चित करें।

(समस्त योजना प्रभारी)

6. स्वालम्बन योजना में Expression of Interest (EOI) कर दिया है। इसका आदेश शीघ्र जारी करें।

(पीडी एम एण्ड ई)

7. मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 114 मा0 विधायकों द्वारा पंचायत चुनी नहीं है। अतः सचिव महोदय की ओर से जिला कलक्टर को लिखें।
8. विधानसभा के चतुर्थ सत्र के बकाया सभी प्रश्नों का उत्तर एक सप्ताह में विधान सभा को प्रेषित कर दिये जायें।

(योजना प्रभारी)

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.विभाग।
2. संयुक्त शासन सचिव(प्रशासन) ग्रा.वि.विभाग।
3. वित्तीय सलाहकार, ग्रा.वि.विभाग।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, एसएपी–एसएस, मोएवंमू ग्रा.वि. विभाग।
5. अति0 मुख्य अभियन्ता एवं परि0निदे0एवं पदेन उप सचिव(सीएसएस) ग्रा.वि.विभाग।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बायोफ्यूल।
7. अधीक्षण अभियन्ता, आईएवाई / श्रीयोजना।
8. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त बैठक के निर्देश वैबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (मोएवंमू)